प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में,

राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

यादि क्रमांकः 13/89–2016 अ0स्था0–I (1)
दिनांक पंचकूलाः– 02.02.2017

विषयः **सामान्य स्थानान्तरण–जेबीटी व मुख्य शिक्षक**

उपरोक्त विषय के निदेशालय के यादि कमांक 13/89–2016 अ0स्था0–I (1) दिनांक 16.12.2016 व 13.01.2017 (प्रति संलग्न) की निरन्तरता में ।

जैसे कि आपको विदित है कि सामान्य स्थानान्तरण के समय लगभग एक हजार जेबीटी अध्यापकों द्वारा अपना प्रोफाईल न भरने, लगभग 200 अध्यापकों द्वारा अपना प्रोफाईल में अपना पदनाम गलत भरने, वर्तमान विद्यालय का नाम गलत भरने तथा 1655 अध्यापकों द्वारा स्थानान्तरण के लिये अपनी इच्छा के जोन व विद्यालयों चयन न करने के कारण ऐसे अध्यापकों का या तो स्थानान्तरण नही हो पाया या फिर उनको स्थानान्तरण नीति अनुसार anywhere की श्रेणी में स्थानान्तरित किया गया है । इसके अतिरिक्त कुद अध्यापकों द्वारा स्थानान्तरण के उपरान्त अपना प्रोफाईल भरने व अप्रूव करवाने के कारण कुछ अध्यापक जिनका स्थानान्तरण उस अध्यापक द्वारा ग्रहित पद को खाली मानते हुए उस विद्यालय में हुआ था, अपने स्थानान्तरित विद्यालय में कार्य ग्रहण नही कर पाये है । इन सभी समस्याओं को दूर करने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

1 जिन अध्यापको द्वारा अभी तक अपना प्रोफाईल नही भरा गया है, वे सभी अध्यापक अपना प्रोफाईल अगले दस दिन के अन्दर अन्दर भरकर अप्रूव करवायेंगे । इसके लिये यदि उनके वर्तमान विद्यालय, जिसमें वह कार्यरत है, में रिक्त पद नही है तो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हे अस्थाई रूप से, केवल प्रोफाईल अप्रूव करने के लिये, ऐसा विद्यालय अलाट किया जाये जहां पर एमआईएस के आधार पर रिक्त पद उपलब्ध हो । इस प्रकार के शिक्षकों की सूची उनके आई0डी नम्बर के साथ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संकलित रूप से निदेशालय को भेजेंगे ताकि अगले स्थानान्तरण के समय उन्हे स्थानान्तरण में शामिल करना सुनिश्चित किया जा सकें ।

2 जिन अध्यापकों द्वारा अपने पदनाम की बजाय अन्य पदनाम जैसे मुख्य शिक्षक द्वारा जेबीटी0 के विरूद्व व जेबीटी द्वारा मुख्य शिक्षक के पद के विरूद्व अपना प्रोफाईल अप्रूव करवाया गया है । ऐसे अध्यापकों को दो श्रेणियों में बांटा जाये– एक वह जिनका स्थानान्तरण नही हुआ है, दूसरे

वह जिनका स्थानान्तरण पिछले स्थानानतरण ड्राईव में हुआ है । इन दोनो श्रेणियों के अध्यापकों की सूची बनाकर निदेशालय को भेजी जाये । इसके साथ ही यदि ऐसे अध्यापकों के लिये उनके वर्तमान विद्यालय में उनके मूल पद की रिक्ति नहीं है तो ऐसे विद्यालय का नाम भेजें जहां पर उनके मूल पद की रिक्ति उपलब्ध हो ताकि उनको ऐसे विद्यालय में दर्शाते हुए उनका प्रोफाईल ठीक करवाया जा सके । यह ध्यान रहे कि शिक्षका आई डी व विद्यालय का विद्यालय कोड अवश्यमेव व सही अंकित हो ।

3 जिन अध्यापकों को **anywhere** की श्रेणी में स्थानान्तरित किया गया है उन अध्यापकों को आगामी स्थानान्तरण ड्राईव में भाग लेने का मौका दिया जायेगा ।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला